फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला–श्रीगंगानगर

सुखाराम बनाम गिरधारीलाल व अन्य

किस्म मुकदमा:–212 R.T.Act प्रकरण संख्या:–105/2016

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25. 08.020	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण के संक्षेप तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने घोषाणात्मक दावा के साथ यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी, अप्रार्थी न. 1 व 2का पेशा हमेशा से ही खेती रहा है तथा प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 व 2 बलोद बडी पोस्ट ऑफिस सदीनगर में निवास कर रहे है व प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 व 2 के पिता रामेश्वरलाल पुत्र गीगराज के नाम से रोही रतासर के खसरा न. 254 में 1.670 हैक्ट व खसरान. 478 में 4.680 हैक्ट इस प्रकार कुल 6.350 हैक्ट रकबा दस साला आवंटन था जो गैर खातेदारी आवटन नियमो की समस्त शर्त पुरी करने के पश्चात खातेदारी अधिकार जारी होकर जिसकी जमाबन्दी व इन्तकाल सलग्न है। प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 व 2 के पिता फौत हो चुके है व प्रार्थी का एक भाई जगदीश लाऔलाद फौत हो चुका है। प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 व 2के पिता के फौत हो जाने के बाद अप्रार्थी न. 1 व 2ने विरासतन इन्तकाल अपने नाम जायज वारिस को छिपाकर केवल अपने नाम 1/2, 1/2 हिस्सा में दर्ज करवा लिया जबकि उक्त रकबा में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई जगदीश का भी हक था चुकि प्रार्थी का भाई जगदीश लाऔलाद फौत हो चुका है जिसके वारिस प्रार्थी व अप्रार्थी न. 2 का बहिस्सा बराबर 1/3, 1/3 हिस्सा खातेदारी बनता है। परन्तु रोही रतासर के इन्तकाल न. 56 अप्रार्थीगण द्वारा गैर कानूनी तरीके से वारिस छिपाकर करवाने से उक्त रकबा अप्रार्थी न. 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया है जिसकी जमाबन्दी सलग्न है। जबकि उक्त रकबा पर प्रार्थी व अप्रार्थीगण का ब.हि. बराबर कब्जा है तथा सयुक्त रूप से लगातार काश्त करते आ रहे है प्रार्थी ने ही इस रकबा पर भारी खर्चा लगाकर बजड तोडकर काबिल काश्त बनाया है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता रामेश्वरलाल के नाम उक्त रकबा खातेदारी है। प्रार्थी एव अप्रार्थीगण रामेश्वरलाल के तीन जायज वारिस है जिसमें प्रत्येक का 1/3, 1/3 हिस्सा बनता है, जिसका घोषाणात्मक एवं खाताविभाजन करवाने का दावा जैरकार है परन्तु दावा के निर्णय से पूर्व ही अप्रार्थी न. 1 व 2 इस रकबा का रहन बैचान हस्तान्तरण करने की धमकी दे रहे है। अगर वो अपने मकसद मे कामयाब होकर जैरप्रकरण रकबा बैच दिया या दिगर तरीके से हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान हो जावेगा। प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थी के अधिवक्ता कि एक तरफा बहस सुनकर दिनांक 19.05.2016 को अप्रार्थीगण के खिलाफ जैरप्रकरण रकबा की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिती बनाए रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कि गई व अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड व साधारण डाक से तलब किया गया। अप्रार्थी न. 2 ने इकबाल जवाब पेश कर निवेदन किया की प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नही है। कब्जा मौका पर हम तीनो भाईयो का है। हम चार भाई थे एक भाई जगदीश लाऔलाद अविवाहित फौत हो गया है इस रकबा में हम तीनो भाईयो का ही हक बनता है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। इसी दौरान एक प्रार्थना पत्र अशोक ने आदेश 1 नियम 10 सी पी सी पेश कर निवेदन किया किवह जगदीश का दतक पुत्र है इसलिए उसे पक्षकार मुकदमा बनाया जावे जिसका विरोध प्रार्थी ने किया व अशोक के पढाई के दस्तावेज व आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता सुची 2009, 2014, 2017 इत्यादि दस्तावेज पेश किये व निवेदन किया की अशोक अप्रार्थी न. 1 का बेटा है। इस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष की बहस सुनी प्रार्थी अशोक ने ना तो कोई रजिस्ट्रर्ड गोदनामा पेश किया उसने केवल जगदीश की मृत्यू दिनांक 27.02.2011 के होने पर घर की बही पेश की अन्य कोई साक्ष्य पेश नही जिससे यह साबित हो की प्रार्थी अशोक जगदीश का गोद पुत्र हो इस पर उभय पक्ष को सुनकर अशोक का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.03.2017 को खारिज किया गया व अप्रार्थी न. 1 को जवाब पेश करने के कुल 27 मौके देने के बाद भी जवाब प्रस्तुत नही किया इसलिए दिनांक [illegible] दिनांक 18.09.2018 को प्रार्थना पत्र धारा 151 व आदेश 9 नियम 7 [illegible] के प्रार्थना पत्र पेश किया जिसे स्वीकार कर जवाब पेश [illegible]	

उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:43:43 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25. 08.020	नही दिया इस पर दिनांक 12.10.2018 को पुनः जवाब बन्द कर दिया तत्पश्चात अप्रार्थी न. 1 ने दिनांक 05.12.2018 को धारा 151 सी पी सी का व आदेश 8 नियम 1 सी पी सी का प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उभय पक्ष की बहस सुनकर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया परन्तु अप्रार्थी न. 1 द्वारा प्रस्तुत राजस्व मण्डल में निगरानी न. 7407 निर्णय दिनांक 30.01.2020 के निर्णय के पश्चात अप्रार्थी न. 1 का जवाब शामिल पत्रावली किया गया अप्रार्थी न. 1 ने अपने जवाब में वंशावली स्वीकार की है तथा उसने जवाब में लिखा है कि उसके बडे भाई सुखाराम ने स्वेच्छा से मौखिख समझौता करते हुए यह भूमि दोनो के नाम करवाई है तथा प्रार्थी सुखाराम उसके भाई के नाम का अन्य व्यक्ति मिलते जुलते नामों की वजह से नाम का दुरूपयोग करते हुए यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है। यह प्रार्थना पत्र उसके भाई का पेश ही नही किया हुआ है। अप्रार्थी न. 2 के प्रकरण के दौरान फौत हो जाने से उसके वारिसो को पक्षकार मुकदमा बनाया गया। प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया की बडोद बडी की भूमि हम चारो भाईयो के नाम है यह भूमि वारिस छिपाकर के अप्रार्थी न. 1 व 2 के नाम दर्ज हुई है तथा अप्रार्थी न. 1 व 2 ने इस रकबा का रहन बैचान हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान हो जायेगा इसलिए पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को दावा के निर्णय तक स्थायी की जावे व कानुनी नजीर आर आर डी 2005 पेज न. 995, आर बी जे 2010 पेज न. 178, आर एल डब्ल्यू 2005 (2)पेज न. 222 पेश किया व अप्रार्थी न. 1 के अधिवक्ता अपने जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया व अप्रार्थी न. 2/1 ता 2/6 के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करने में अपनी सहमती दी। उभय पक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया मुताबिक राजस्व रिकार्ड जैर प्रकरण रकबा रामेश्वरलाल पुत्र गीगराज का खातेदारी रकबा है तथा उभय पक्ष इस बात को स्वीकार कर रहे की रामेश्वरलाल के कुल चार पुत्र थे प्रकरण में प्रस्तुत बडोद बडी की जमाबन्दी के अनुसार रामेश्वरलाल के फौत होने के बाद उसके नाम का रोही बडोद बडी का इन्तकाल जगदीश, सुखाराम, महावीर व गिरधारी के नाम दर्ज हुआ है परन्तु रोही रतासर का उक्त जैरप्रकरण खसरा न. 254 का 1.670 व खसरा न. 478 का 4.680 हैक कुल 6.350 हैक बारानी दोयम रकबा का विरास्तन इन्तकाल केवल महावीर वगिरधारी के नाम ही दर्ज हुआ है अप्रार्थी न. 1 ने प्रार्थी के द्वारा हक त्याग करने के बाबत कोई दस्तावेज साक्ष्या पेश नही किया वो प्रार्थी को भाई तो अपना मानता है परन्तु उसने इन्तकाल दस्दीक करवाते समय जायज वारिसो को छोड दिया है। इसप्रकार रामेश्वरलाल के फौत हो जाने के बाद उसके तमाम वारिसो के नाम इन्तकाल दर्ज होना चाहिये था परन्तुरोही रतासर का उक्त 6.350 हैक रकबा केवल अप्रार्थी न. 1 व 2 के नाम है तथा प्रार्थी का घोषाणात्मक दावा अभी जैरकार है व दावा के निर्णय से पहले ही अप्रार्थी न. 1 व 2 ने अपने नाम के रकबा का बैचान कर दिया या दिगर तरीके से हस्तान्तरण कर दिया तो प्रार्थी को ना पुरा होने वाला नुकसान होने की पुरी पुरी सभांवना है तथा प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 19.05.2016 को स्थाई किया जाकर अप्रार्थीगण को दावा के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वो रोही रतासर कि जमाबन्दी सम्वत 2067 ता 2070 के खाता न0 184/181 के खसरा न. 254 का 1.670 व खसरा न. 478 का 4.680 हैक कुल 6.350 हैक रकबा की रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिती बनाए रखे। आदेश सरे इजलास आज दिनांक .... को सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.09.16 16:48:43 IST
Reason: SelfAttested